न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 70 / 2016

ए.यू. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1.श्री विजय शंकर सोनी पुत्र श्री अमर चन्द सोनी
पता–660, सदर बाजार, देवालिया कलॉ, जिला–अजमेर (राज0) **(ऋणी)**

2. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अमर चन्द सोनी (सह–ऋणी / बंधककर्ता)
पता–660, सदर बाजार, देवालिया कलॉ, जिला–अजमेर (राज0)
दूसरा पता– जैन मन्दिर के पास, ग्राम– देवलिया कलॉ, पंचायत समिति–भिनाय, तहसील–भिनाय जिला–अजमेर (राज0)

3.श्री दशरथ सिंह शक्तावत पुत्र श्री अक्षय राज सिंह शक्तावत (जमानती)
पता–52, नया शास्त्री नगर, तहसील–केकडी, जिला–अजमेर राजस्थान

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :–
महेश शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 15.02.2017.

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी श्री विजय शंकर सोनी पुत्र श्री अमर चन्द सोनी पता–660, सदर बाजार, देवालिया कलॉ, जिला–अजमेर व सह ऋणी बंधककर्ता श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अमर चन्द सोनी, 660 सदर बाजार, देवालिया कलॉ, जिला–अजमेर (राज0) दूसरा पता– जैन मन्दिर के पास, ग्राम– देवलिया कलॉ, पंचायत समिति–भिनाय, तहसील–भिनाय जिला–अजमेर (राज0) को श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अमर चन्द सोनी की सम्पति जो जैन मन्दिर के पास, ग्राम देवलियॉकलॉ, पंचायत समिति–भिनाय, में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हे जिसका माप लगभग 466.47 वर्ग फुट हैं, जिसकी चर्तु सीमा–पूर्व में–श्री रामजस खाती का मकान, पश्चिम में–मुख्य रास्ता,उत्तर में–श्री हनुमान बाडी व श्री कालू तेली का मकान, दक्षिण में–श्री भॅवरलाल वैष्णव का मकान है को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप बन्धक रखकर दिनांक 03.07..2013 को रूपये–02,70,000 / – (अक्षरे दो लाख सत्तर हजार रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण भुगतान करने में डिफाल्टर होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05..2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–03,25,671 / – (अक्षरे तीन लाख पच्चीस हजार छह सौ इकहतर रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा

569

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सूचित किया गया। अप्रार्थी0 उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई चाहने पर उन्हे सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावें। धारा 14 के तहत कार्यवाही दौरान ऋणी/सहऋणी/गारण्टर एवं तृतीय पक्ष को नोटिस जारी करने एवं सुनने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में एक माह के भीतर आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security intrest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री अमर चन्द सोनी की सम्पति जो जैन मन्दिर के पास, ग्राम देवलियॉकलॉ, पंचायत समिति–भिनाय, स्थित है जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हे जिसका माप लगभग 466.47 वर्ग फुट हैं, जिसकी चर्तु सीमा–पूर्व में–श्री रामजस खाती का मकान, पश्चिम में–मुख्य रास्ता,उत्तर में–श्री हनुमान बाडी व श्री कालू तेली का मकान, दक्षिण में–श्री भॅवरलाल वैष्णव का मकान है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2017 को सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner